राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5731

दिनांकः 16.08.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 23312–13 दिनांक 26.07.18 से पुलिस था भवानीमंडी के अभियोग सं0 200 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू पुत्र लाखन सिह जाति कंजर उम्र 23 स निवासी चांदियाखेडी थाना सदर, जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोज स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2018 को श्री हरिसिंह सउनि थाना भवानीमंडी मय जाप्ता के अवैध कार्यो व चेंकिग व धरपकड हेतु आरटीएम आवासीय कालोनी के सामने पहुंचा कि कृषि उपज मंडी की तरफ से एक व्यक्ति आता नजर आया, व पुलिस को बावर्दी देखकर वापस मुडकर तेज गति से भागा। जिसके पास आपत्तिजनक वस्तु होने का संदेह होने पर जाप्ते की इमदा से पकडा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू पुत्र लाखन सिह जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी चांदियाखेडी थाना सदर, जिल झालावाड का होना बताया। जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसके पास से एक देशी कटटा 315 बोर मिला। जिस पर मौके पर वि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 200 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसधान से अभियुक्त व विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिक मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि देशी कटटा 315 बोर लोकल मेटल लोहे का बना हुआ है। जिस पर किसी प्रकार व मार्का अंकित नही है। इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है। उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य है, जो फायर आर्म्स की जद मे आता है अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जार करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री घनश्याम एएसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वार सील्ड देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट ए आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आग अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त राजू पुत्र लाखन सिह जाति कंजर उम्र 23 साल निवासी चांदियाखेडी थाना सदर, जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड